गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ....1154...
दिनांक ....21/4/22...

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2018 जयपुर, दिनांक : 19.04.2022

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2018–19 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.07.2018 के समय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, आरपीएस के विरूद्ध अन्तर्गत नियम 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, आरपीएस के विरूद्ध विचाराधीन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए की विभागीय जांच को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल पद की वर्ष 2018–19 की दिनांक 29.07.2018 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, आरपीएस (सामान्य) को राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल के पद पर वर्ष 2018–19 में रिक्ति दिनांक 01.04.2018 के प्रति एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री गुप्ता, आरपीएस की वरिष्ठता श्री जगदीश प्रसाद मीणा, (एसटी) के नीचे एव श्री पुष्पेन्द्र सिह सोलंकी, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री गुप्ता का रिक्ति दिनाक 01.04.2018 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0
(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

19/4/2022
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

4
21/4/22

B612